

पटना में दिनांक-27 जून, 2023 मंगलवार को पूर्वाह्न 11:30 बजे हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

खान एवं भूतत्व विभाग

1. बिहार राज्यान्तर्गत वृहद् खनिज के 09 खनिज ब्लॉकों की नीलामी के लिए 'बिहार वित्त नियमावली 2005' के नियम-131 (झ)(ड) के आलोक में नामांकन के आधार पर 'ट्रांजेक्शन एडवाइजर' के रूप में "SBI कैपिटल मार्केट्स लि०" से एवं 'ऑक्शन प्लेटफॉर्म' के रूप में "मेटल स्क्रेप ट्रेड कॉर्पोरेशन लिमिटेड" को क्रमशः ₹1,57,50,000 + ₹45,00,000+ लागू कर अर्थात् कुल ₹2,02,50,000 (दो करोड़ दो लाख पचास हजार रुपये) + लागू कर पर सेवा लिये जाने की स्वीकृति के संबंध में।

1. स्वीकृत।

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

2. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत संचालित लक्षित जन वितरण प्रणाली के तकनीकी आधुनिकीकरण हेतु माह अप्रैल, 2023 से मार्च, 2026 तक की अवधि के लिए लागू केन्द्र-प्रायोजित योजना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में तकनीक के माध्यम से आधुनिकीकरण एवं सुधार की योजना (Scheme for Modernization and Reforms through Technology in Public Distribution System, SMART-PDS), को राज्य में लागू करने हेतु केन्द्र सरकार के साथ एम०ओ०यू० (MoU) हस्ताक्षरित करने की स्वीकृति के संबंध में।

2. स्वीकृत।

पंचायती राज विभाग

3. पंचायती राज विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में लिपिकीय संवर्ग नियमावली, 2018 के गठन के फलस्वरूप विभाग के नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय कार्यालय में लिपिक संवर्ग के विभिन्न पद सोपान के पूर्व से सृजित पदों के अतिरिक्त 675 (छः सौ पचहत्तर) पदों यथा निम्नवर्गीय लिपिक-- 593, उच्च वर्गीय लिपिक-42, प्रधान लिपिक-31 एवं कार्यालय अधीक्षक के 09 पदों के सृजन के संबंध में।

3. स्वीकृत।

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

4. राज्य के 8 जिलों यथा-अररिया, अरवल, नवादा, मधुबनी, लखीसराय, वैशाली, कटिहार एवं सीतामढ़ी में 520 आसन वाले एक-एक अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु भवन निर्माण विभाग के द्वारा तकनीकी अनुमोदित स्थूल प्राक्कलन (Model Estimate) के अनुसार प्रति विद्यालय रु० 46,35,28,000/- (छियालीस करोड़ पैंतीस लाख अठाईस हजार) मात्र की दर से कुल लागत रु० 3,70,82,24,000/- (तीन सौ सत्तर करोड़ बयासी लाख चौबीस हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति।

4. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

5. पथ प्रमंडल, दरभंगा अन्तर्गत कमतौल पानी टंकी से सनहपुर (श्याम चौक) तक भाया बेलवाड़ा, काँटी पोखर, जहाँगीर टोला, महदई चौक, पकटोला, चकोती कलवाड़ा, बेदौली चौक पथ के कि०मी० 0.00 से कि०मी० 20.467 तक (कुल-20.467 कि०मी० पथांश लम्बाई) का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य कुल ₹5693.14 लाख (छप्पन करोड़ तिरान्चे लाख चौदह हजार रुपये) की प्रथम पुनरीक्षित अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।
5. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

6. पथ प्रमंडल, दरभंगा अंतर्गत हथौड़ी कोठी से बहेड़ी पथ के कि०मी० 0.00 से 5.395 कि०मी० तक (कुल 5.395 कि०मी० पथांश लम्बाई) में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य कुल ₹3428.98 लाख (चौतीस करोड़ अट्ठाईस लाख अन्तानबे हजार) रुपये की प्रथम पुनरीक्षित अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।
6. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

7. केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत पटना जिलान्तर्गत नौबतपुर-शहर-रामपुर-मझपुरा-दुल्हिन बाजार पथ के कि०मी० 0.0 से 11.487 कि०मी० (कुल लम्बाई 11.487 कि०मी०) तक का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य (जॉब सं०-CRF-BR-2018-19/93) हेतु कुल रु० 4977.77252 लाख (उनचास करोड़ सत्तहत्तर लाख सत्तहत्तर हजार दो सौ बावन) के अनुमानित व्यय पर करने की प्रथम पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।
7. स्वीकृत।

सूचना प्रावैधिकी विभाग

8. BSWAN 2.0 के एक वर्ष के संचालन एवं रख-रखाव हेतु कुल राशि ₹1,00,06,00,000.00 (एक अरब छः लाख) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।
8. स्वीकृत।

ऊर्जा विभाग

9. पूर्ववर्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का दिनांक-31.10.2012 तक की अवधि में अनफण्डेड टर्मिनल बेनिफिट दायित्व के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अनुमानित देय वार्षिक दायित्व के भुगतान हेतु 757.63 करोड़ (सात सौ संतावन करोड़ तिरसठ लाख) रुपये बिहार स्टेट पावर (हो०) कं० लि० को तीन किश्तों में उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।
9. स्वीकृत।

कृषि विभाग

10. भूमि संरक्षण निदेशालय, पटना के अधीन पूर्व से स्वीकृत विभिन्न कोटि के कुल 305 पदों में से 108 पदों को प्रत्यर्पित किये जाने एवं 197 पदों को समपरिवर्तित किये जाने तथा विभिन्न कोटि के कुल 151 नये पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में। 10. स्वीकृत।

पर्यटन विभाग

11. राज्य में पर्यटकों को आधुनिक सुविधायुक्त आवासन एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु पटना में होटल पाटलिपुत्र अशोक, बांकीपुर बस स्टैंड परिसर एवं सुल्तान पैलेस की भूमि पर आधारभूत संरचना विकास सामर्थ्यकारी (इनेबलिंग) (संशोधन) अधिनियम 2023 के प्रावधानों के तहत पाँच सितारा होटल के निर्माण एवं संचालन की स्वीकृति किये जाने के संबंध में। 11. स्वीकृत।

कृषि विभाग

12. बागवानी विकास कार्यक्रमों के लिए राज्य स्कीम मद से मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति तथा चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में 4359.911 लाख (तैंतालीस करोड़ उनसठ लाख एकानवे हजार एक सौ) रुपये मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में। 12. स्वीकृत।

उद्योग विभाग

13. मेसर्स मैश एग्रो फुड्स लिमिटेड, सिविल लाईन्स, मौजा -चिल्हामारी, सुरजापुर, ठाकुरगंज, जिला-किशनगंज को वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस की स्वीकृति देने के संबंध में। 13. स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

14. शिवहर जिला के पिपराही प्रखंड अन्तर्गत बागमती बूढ़ी गंडक नदी जोड़ योजना (बेलवाधार) के अन्तर्गत बेलवा-भीनापुर लिंक चैनल के निर्माण कार्य (प्राक्कलित राशि रु० 13088.57 लाख) (एक सौ तीस करोड़ अठासी लाख सन्तावन हजार) मात्र की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति। 14. स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

15. डकरानाला पम्प नहर योजना का अवशेष कार्य, प्राक्कलित राशि 145.43 करोड़ रुपये (एक सौ तैंतालीस करोड़ तैतालीस लाख) मात्र की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति। 15. स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

16. सिंधवारणी जलाशय योजना एवं इससे निकलने वाली उच्च स्तरीय मुख्य नहर (0 से 317 चेन तक) के पुनर्स्थापन कार्य, प्राक्कलित राशि 125.8212 करोड़ रुपये (एक सौ पच्चीस करोड़ बेरासी लाख बारह हजार) मात्र की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति।
16. स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

17. गंडक-अकाली नाला (छाड़ी)-गंडकी-माही-गंगा नदी जोड़ योजना (प्राक्कलित राशि रु० 6989.79 लाख) (उनहत्तर करोड़ नवासी लाख उन्नासी हजार) मात्र के प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति का प्रस्ताव।
17. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

18. सी०डब्लू०जे०सी० सं०-3274/2022 शिल्पी केसरी बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में मा० उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन हेतु पटना जिलान्तर्गत पटना सदर अंचल के मौजा-दुजरा दियारा, थाना सं०-139, रकबा-18.00 एकड़ असर्वेक्षित भूमि पटना जिला के विभिन्न थानों में भारी मात्रा में जब्त/लावारिस/बरामद वाहनों के रख-रखाव हेतु गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार सरकार को निःशुल्क अन्तर्विभागीय हस्तान्तरण के संबंध में।
18. स्वीकृत।

समाज कल्याण विभाग

19. मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना अन्तर्गत पालना-घर के संचालन हेतु पूर्व से निर्धारित दर में बढ़ोतरी करते हुए आवर्ती मद को ₹3,16,440 (तीन लाख सोलह हजार चार सौ चालीस) प्रतिवर्ष तथा अनावर्ती मद को ₹5,36,428 (पाँच लाख छत्तीस हजार चार सौ अट्ठाइस) अर्थात् कुल ₹8,52,868 (आठ लाख बावन हजार आठ सौ अडसठ) दर से पालना-घर की स्थापना एवं संचालन किये जाने की स्वीकृति के संबंध में।
19. स्वीकृत।

उद्योग विभाग

20. मेसर्स ब्रजेन्द्र कुमार बिल्डर्स प्रा० लि०, बाढ़, मोकामा, पटना को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली -2016 के नियम-7(2)(iv) के आलोक में वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस की स्वीकृति देने के संबंध में।
20. स्वीकृत।

कृषि विभाग

21. कृषि जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, सबौर के आधारभूत संरचना निर्माण कार्य हेतु 72.32 करोड़ (बहत्तर करोड़ बत्तीस लाख) रुपये मात्र की लागत से परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति एवं इसके अधीन तत्काल चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में 5.00 करोड़ (पाँच करोड़) रु० की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में।
21. स्वीकृत।

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

22. राज्य में मात्स्यिकी विकास से सम्बद्ध आधारभूत संरचनाओं के निर्माण की योजनाओं के सुचारु रूप से कार्यान्वयन हेतु मत्स्य प्रभाग के अभियंताओं को पूर्व प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति हेतु शक्तियों की सीमा में अभिवृद्धि प्रदान करने की स्वीकृति के संबंध में। 22. स्वीकृत।

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

23. वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य योजना अन्तर्गत तालाब मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार के तहत मीठापुर, पटना स्थित मत्स्य अनुसंधान तथा मत्स्य प्रशिक्षण- सह-प्रसार केन्द्र परिसर में कुल रुपये 54,35,31,000/- (चौवन करोड़ पैंतीस लाख इकतीस हजार) मात्र की लागत पर मत्स्य विकास भवन निर्माण की योजना की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में। 23. स्वीकृत।

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

24. वित्तीय वर्ष 2023-24 में सात निश्चय-2 के तहत कुल ₹37,05,45,000.00 लाख (रुपये सैंतीस करोड़ पाँच लाख पैतालीस हजार) मात्र की अनुमानित लागत व्यय पर देशी गौपालन प्रोत्साहन योजना के तहत राज्य के सभी वर्गों के कृषकों/पशुपालकों/बेरोजगार युवक- युवतियों के लिए स्वरोजगार के सृजन हेतु 02, 04, 15 एवं 20 देशी गाय/बाछी-हिफर (साहिवाल, गिर, थारपारकर) की डेयरी इकाई की स्थापना पर अनुदान व्यय करने की स्वीकृति। 24. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

25. "बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) (संशोधन) नियमावली, 2023" की स्वीकृति के संबंध में। 25. स्वीकृत।